न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद (प्रार्थनापत्र) संख्या– 54/2019
प्रविष्टि दिनांक – 8.4.2019

उनवान

1. पप्पू पुत्र स्व0 रामपाल जाति जाट निवासी वार्ड नं0 6, भडाला मोहल्ला खण्डदेवत रोड निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक

–आवेदक/वादी

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

उपस्थित–श्री महेश शर्मा –वकील वादीगण
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादी

विपक्षी

निर्णय
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक : 30/11/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत खसरा नंबर 263, 264 एवं 251, 260/1, 261, 274, 277, 282/4, 313, 520, 523, 524, 527, 531, 535, 536, 572, 1378, 1379, 1382, 1383, 1384, 1388, 1390, 1405, 1414, 1415, 1418, 1420, 1423, 1424, 1426/2, 1428, 1429, 1430, 1458/2, 1459, 1462, कुल किता–33 कुल रकबा 41 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 353, 354, 357, कुल किता–3 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम खणदेवत, पटवार हल्का खणदेवत तहसील निवाई व जिला टोंक मे स्थित हैं जिसमे प्रार्थी का हिस्सा जमाबंदी अनुसार निहित है। प्रार्थी का नाम पप्पू है परन्तु जमाबंदी मे सहवन से प्रार्थी का नाम प्रहलाद अंकित कर दिया जो गलत है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम पप्पू ही अंकित है। प्रार्थी की अन्य भूमि खाता सं0 486 संवत 2071–2074 मे भी प्रार्थी का नाम पप्पू ही अंकित है। अतः उक्त भूमि मे प्रार्थी का नाम प्रहलाद के स्थान पर पप्पू अंकित किया जावे।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2071–74, राशन कार्ड, आधार कार्ड,, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जिसमे अंकितानुसार ग्राम खणदेवत मे नामान्तरकरण सं0 1355 के द्वारा प्रार्थी के पिता रामपाल पुत्र भूरा के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम श्योकिशन प्रहलाद पुत्र रामपाल कैलासी पुत्री रामपाल ज्याना बेवा रामपाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को प्रहलाद व पप्पू दोनो ही नामो से जाना जाता है।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि मे नामान्तरकरण, जमाबंदी, प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों के परीक्षण मे पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण मे विरासत के दौरान प्रार्थी का नाम प्रहलाद अंकित है। उक्त नामान्तरकरण वर्ष 2006 को स्वीकृत किया गया है जिसे लगभग 18 वर्ष हो गये है। यदि त्रुटि विरासत के नामान्तरकरण के समय हुई थी तो वादी द्वारा तत्समय ही नामान्तरकरण की अपील क्यो नही की गई। अब इतने समय पश्चात जमाबंदी कई रोटेशन से गुजर चुकी है।

प्रार्थनापत्र इतनी देरी से प्रस्तुत करने का वादीगण द्वार कोई ठोस कारण से भी अवगत नही कराया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण मे अन्य सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि विवादित भूमि मे उनका भी हिस्सा निहित है और विवादित भूमि के टाईटल मे किसी भी प्रकार के संशोधन मे सहखातेदार की सहमति अथवा अनापत्ति आवश्यक है। नामान्तरकरण के अनुसार ही जमाबंदी मे इन्द्राज किया गया है इस प्रकार तथाकथित त्रुटि नामान्तरकरण के दौरान हुई है जिसके लिए नामान्तरण मे संशोधन के लिए अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। पत्रावली पर प्रार्थनापत्र के तथ्यो को साबित करने के लिए साक्ष्यो का अभाव है। यह किसी भी साक्ष्य से स्पष्ट नही हो रहा है कि प्रार्थी ही जमाबंदी मे अंकित प्रहलाद है। इस तथ्य के लिए प्रार्थी अथवा पैरोकार सरकार न्यायालय को संतुष्ट नही कर पाये है। इसलिए प्रार्थीगण के सही व वास्तविक नामो के संबंध मे स्थिति स्पष्ट नही हो पाई है। उक्त विवेचन से तो स्पष्ट है कि प्रार्थीगण, प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को भली भांति साबित नही कर पाये है और न ही तथ्यों के संबंध मे ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है जिस कारण साक्ष्य दस्तावेज के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत, खसरा नंबर 263, 264 एवं 251, 260/1, 261, 274, 277, 282/4, 313, 520, 523, 524, 527, 531, 535, 536, 572, 1378, 1379, 1382, 1383, 1384, 1388, 1390, 1405, 1414, 1415, 1418, 1420, 1423, 1424, 1426/2, 1428, 1429, 1430, 1458/2, 1459, 1462, कुल किता–33 कुल रकबा 41 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 353, 354, 357, कुल किता–3 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम खणदेवत, पटवार हल्का खणदेवत तहसील निवाई जिला टोंक साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाता है। प्रार्थनापत्र पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 30/1/25 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई